



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ-226001

CIN:U32201UP1999SGC024928-

संख्या-1614-अधि०प्रब०-03/पाकालि/2019-3(106)ई०एम०-03/2010 दिनांक: 14 अक्टूबर, 2019

- | | |
|--|---|
| 1. लेखाधिकारी (पेंशन)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ। | 2. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा),
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ। |
|--|---|

विषय:- स्व० बृजराज सिंह, (अभिज्ञान संख्या-2010106), दिवंगत सहायक अभियन्ता के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/जी०पी०एफ० व अवशेष वेतन आदि अधिकृत किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

स्व० बृजराज सिंह (अभिज्ञान संख्या-2010106), तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, विद्युत माध्यमिक कार्य खण्ड, अलीगढ़, जो दिनांक 22.07.2013 को दिवंगत हो गये थे, की आश्रिता पत्नी श्रीमती रीटा सिंह को कारपोरेशन के पत्र संख्या-1668-अधि०प्रब०-03/पाकालि/2014-3(106)ई०एम०-03/2010, दिनांक 16.09.2014 द्वारा, आश्रितों का विवरण जिलाधिकारी, आगरा से प्राप्त होने की प्रत्याशा में, अनन्तिम (PROVISIONAL) पेंशन अधिकृत की गयी थी।

इसी मध्य, स्व० बृजराज सिंह, सहायक अभियन्ता की पहली पत्नी के पुत्र श्री राहुल सिंह ने अपने पिता के सेवानैवृत्तिक देयों को प्राप्त किए जाने हेतु मा० न्यायालय, अपर जिला जज, अलीगढ़ में सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या-226/2015 योजित किया।

श्री राहुल सिंह व श्रीमती रीटा सिंह ने आपसी समझौते के तहत उक्त वाद के निस्तारण हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 06.03.2019, मा० न्यायालय अतिरिक्त जिला जज, (कोर्ट सं०-12) अलीगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् वादी/प्रतिवादी द्वारा दाखिल समझौते पर मा० न्यायालय ने सहमत होते हुए वाद संख्या-226/2015 को अन्तिम रूप से दिनांक 09.03.2019 को निस्तारित कर दिया है, जिसमें ग्रेच्युटी, जी०पी०एफ० व अवशेष वेतन आदि में से आधा हिस्सा श्री राहुल सिंह तथा आधा हिस्सा श्रीमती रीटा सिंह व पुत्री कु० शैली सिंह को प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में अंगीकृत परिषदादेश सं०-893-पेंशन-31/रा०वि० प०/461(पी)1/89 दिनांक 21.06.1991 (यथा संलग्न शासनादेश संख्या-सा-3/1713/10-89-933/89 दिनांक 28.07.1989) में उल्लिखित प्राविधानानुसार मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया स्व० बृजराज सिंह (अभिज्ञान संख्या-2010106, सम्प्रेक्षा संख्या-बी-529), तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड, अलीगढ़ के आश्रितों को मा० न्यायालय, अपर जिला जज, अलीगढ़ में सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या-226/2015 के निर्णय दिनांक 09.03.2019 के अनुसार यथा अनुमन्य पारिवारिक पेंशन उनकी पत्नी श्रीमती रीटा सिंह तथा ग्रेच्युटी, जी०पी०एफ० व अवशेष वेतन आदि में से आधा हिस्सा श्री राहुल सिंह तथा आधा हिस्सा श्रीमती रीटा सिंह व पुत्री कु० शैली सिंह को प्रदान किए जाने में अब कोई प्रशासनिक आपत्ति नहीं है तथापि इन लाभों को अधिकृत करते समय अवशेष देयों, यदि कोई

(हस्ताक्षर)

.....2

हों, का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि विभागीय आवास यदि आवंटित रहा हो, खाली कर दिया गया हो तथा इन पर कोई रेन्ट/पेनल रेन्ट आदि बकाया न हो।

स्व० बृजराज सिंह (वरिष्ठता क्रमांक-4828), अवर अभियन्ता से प्रोन्नत सहायक अभियन्ता थे, इनके अवर अभियन्ता काल से सम्बन्धित अवशेष देयों, यदि कोई हों, का समायोजन भी सुनिश्चित कर लिया जाये।

कृपया पेंशन इकाई के पत्र संख्या-2540-उ०म०प्र०/पेंशन/13442/13-14 दिनांक 28.08.2019 के सन्दर्भ में उपर्युक्तानुसार कृत कार्यवाही से कारपोरेशन मुख्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(हिमांशु वार्ष्णेय)

उप सचिव (अ०प्र०-03)

संख्या-1614(1)-अधि०प्रब०-03/पाकालि/2019, तददिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

पंजीकृत

1. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, ऊर्जा भवन, 220 के०वी० उपसंस्थान, बाईपास रोड, आगरा-282007.

पंजीकृत

2. अपर सचिव-तृतीय, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

3. मुख्य अभियन्ता (वितरण), आगरा क्षेत्र, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।

पंजीकृत

4. सचिव (ट्रस्ट), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लाल डिग्गी, अलीगढ़-202001 को पत्र सं०-257/वि०मा०का०ख०अ०/जे०-2 दिनांक 20.07.2019 के सन्दर्भ में।

पंजीकृत

7. अधिशासी अभियन्ता (वेब०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पावर कारपोरेशन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

8. श्रीमती रीटा सिंह पत्नी स्व० बृजराज सिंह व कुमारी शैली सिंह पुत्री स्व० बृजराज सिंह, फ्लैट नं०-103, ब्लॉक-10, लोटस वेलफेयर सोसायटी ओमीकोन-3, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपनी पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित खण्ड/लेखाधिकारी (पेंशन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ से यथावश्यक प्रपत्रों सहित अविलम्ब सम्पर्क स्थापित करना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

9. श्री राहुल सिंह पुत्र स्व० बृजराज सिंह, पता- 3/12, पंचवटी जनकपुरी, अलीगढ़।

10. कट फाइल।

(हिमांशु वार्ष्णेय)

उप सचिव (अ०प्र०-03)